FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0071 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/03/2026 16:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 13/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:35 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/03/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/03/2026 16:38:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KIRAYE KA MAKAN RAILWAY STATION KE SAMNE, GULECHHA PARISAR PHALODI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PINTU THANVI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MUKESH THANVI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SONARO KI GAWAR PHALODI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SONARO KI GAWAR PHALODI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR. JITENDRA KUMAR GAUR		पिता:PUKHRAJ	1. DHORU,BHOPALGARH,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपूर ग्रामीण विषयः- रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत। महोदय, अपयुक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि मैं पिन्टु थानवी ेध्व श्री मुकेष थानवी, उम्र 25 वर्श, जाति ब्राहम्ण, निवासी फलोदी, जिला-फलोदी, का रहने वाला हॅु। मैने पुलिस थाना-फलोदी में मारपीट का मुकदमा न. 80/2026 दर्ज करवा रखा है। जिसमें मेरी व नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडीकल रिपोर्ट डा0 जितेन्द्र कुमार गौड, जिला अस्पताल फलोदी बना रहे है। मेडीकल रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनाने के बदले डा. जितेन्द्र कुमार गौड मेरे से 10,000 रू की रिश्वत मांग रहे है। इसके बदले 4,000/- रू रिष्वत मेरे से कल दिनॉक 10.03.2026 को ले ली है। बाकी 6,000/- रू और मांग रहे है। मैं मेरे वाजिब काम के बदले डा0 जितेन्द्र कुमार गौड को रिश्वत नहीं देना चाहता हॅु मैं इन्हें रिश्वत लेते हुऐ पकडवाना चाहता हॅु । मेरी डा. जितेन्द्र कुमार गौड से कोई रंजिश नहीं है। एंवम नहीं कोई लेन-देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करे। दिनांक 11.03.2026 भवदीय प्रार्थी एसडी पिन्टु थानवी S/O मुकेश थानवी सोनारो की गवाड़ फलोदी जिला फलोदी मो.न. ।।कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण।। कार्यवाही पुलिस दिनांक 11.03.2026 वक्त 4.35 पी.एम. इस समय परिवादी श्री पिन्टु थानवी पुत्र श्री मुकेष थानवी उम्र 25 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी फलोदी जिला फलोदी ने एक हस्तलिखित लिखित रिपोर्ट पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि मेरे द्वारा मुकदमा स0 80/2026 पुलिस थाना फलोदी में दर्ज करवाया गया है जिसमे मेरे व श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट हमारे पक्ष में बनाने के एवज मे डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड़ जिला अस्पताल फलोदी 10,000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है तथा इसके बदले 4,000/- रूपये मेरे से कल दिनॉक 10.03.2026 को प्राप्त कर लिये है बाकी 6,000 /- रूपये की ओर मांग कर रहे है। मजमून से मामला भ्र.नि.अ. (पी.सी. एक्ट) 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 05.08 पी.एम. इस समय मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री बचनाराम कानि. 447 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री बचनाराम कानि. 447 से परिवादी श्री पिन्टु थानवी का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री पिन्टु थानवी एवं श्री बचनाराम कानि. 447 को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी पिन्टु थानवी एवं श्री बचनाराम कानि. 447 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री पिन्टु थानवी ने बताया कि सदिग्ध अधिकारी ने मुझे आज ही अपने रहवासी मकान फलोदी पर आने हेतु कहा है एंवम आज रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है, जिस पर आज ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने का निर्णय लिया गया। वक्त 05.20 पी.एम. इस समय कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से निकाल कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे नया मेमोरी कार्ड डालकर कानि0 श्री बचनाराम को सुपुर्द कर श्री बचनाराम को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री पिन्टु थानवी के साथ फलोदी पहॅुच संदिग्ध अधिकारी के रहवासी मकान फलोदी से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री पिन्टु थानवी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु परिवादी के पास उपलब्ध निजी वाहन से फलोदी के लिये रवाना किया। वक्त 08.16 पी.एम.इस समय रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए कानि. श्री बचनाराम ने अपने मोबाईल से जरिये वाट्सअप कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै परिवादी श्री पिन्टु थानवी के साथ परिवादी के पास उपलब्ध निजी वाहन से फलोदी पहॅुच संदिग्ध अधिकारी डॅा. जितेन्द्र कुमार गौड के रहवासी मकान फलोदी से थोड़ा पहले मैने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री पिन्टु थानवी के पहने हुए लॉवर की आगे की साईड की बांयी जेब में रखा जाकर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु सदिग्ध अधिकारी के रहवासी मकान फलोदी की तरफ पैदल ही रवाना किया गया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए सदिग्ध अधिकारी के रहवासी मकान फलोदी के आस-पास ही गोपनीय रूप से खड़ा रहा था। कुछ समय बाद परिवादी श्री पिन्टु थानवी मेरे पास उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्ड मुझे पेश किया, जिसे मैने स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा है। परिवादी ने बताया कि मेरी डा. जितेन्द्र कुमार गौड से उनके रहवासी मकान में रिश्वती राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री बचनाराम को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री पिन्टु थानवी को आईन्दा मेरे निर्देशानुसार एसीबी कार्यालय जोधुपर

ग्रामीण में पहुंचने हेतु पाबन्द कर स्वयं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 12.03.2026 वक्त 12.05 पी.एम.इस समय श्री बचनाराम कानि. 447 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच ऑफ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी के द्वारा पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज मुकदमा स0 80/2026 में परिवादी पिन्टु थानवी व श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट उनके पक्ष में तैयार करने की एवज मे आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड़ जिला अस्पताल फलोदी द्वारा 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा 3,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से पहले लेना एंवम 7,000/- रूपये रिश्वत राशि की ओर मांग कर आईन्दा रिश्वत राशि 7,000/-रूपये लेकर आने हेतु कहा है। डा. जितेन्द्र कुमार गौड़ द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 10,000/- रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकार्डर को स्विच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 13.03.2026 वक्त 09.22 ए.एम इस समय परिवादी श्री पिन्टु थानवी ने अपने मोबाईल नम्बर से जरिये वाट्सआप कॉल कर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो परिवादी श्री पिन्टु थानवी ने बताया कि डा. जितेन्द्र कुमार गौड़ आज शाम को अपने फलोदी स्थित रहवासी मकान पर उपस्थित मिल सकते है व मेरे को बुलाया हुआ भी है तथा मेरे पास डा. जितेन्द्र कुमार गौड़ को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है जिस पर परिवादी श्री पिन्टु थानवी को आज दिनांक 13.03.2026 को 11 ए.एम तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/-रूपये अपने साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एंवम अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये तथा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यावही हेतु कार्यालय हाजा के श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री पिन्टु थानवी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही के समस्त हालात बताये एवं साथ ही कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री पिन्टु थानवी तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड़ के मध्य दिनांक 11.03.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर आईन्दा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से सम्पर्क कर तथा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वक्तः-10.35 ए.एम.इस समय मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र द्वितीय जोधपुर के नाम से पत्र क्रमांक 414 दिनांक 13.03.2026 एंवम श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र प्रथम जोधपुर के नाम पत्र क्रमाक 415 दिनॉक 13.03.2026 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ओमप्रकाश कानि 260 को उक्त पत्र सुपुर्द कर मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम कानि. चालक 638 के रवाना कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र प्रथम/द्वितीय जोधपुर किया गया। वक्तः-11.35 ए.एम. इस समय श्री ओमप्रकाश कानि. 260 मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम कानि. चालक 638 उपरोक्त फिकरा के कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र प्रथम/द्वितीय जोधपुर गये हुए दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मोहनलाल उम्र 46 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी पूंगल पाडा, पूंगलियो की गल्ली पुलिस थाना सीटी पुलिस (सदर) जोधपुर शहर हाल वरिष्ठ सहायक , कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र द्वितीय जोधपुर मोबाईल नम्बर व श्री लक्ष्मीनारायण दैया पुत्र स्व. श्री हुकमा राम दैया जाति दर्जी उम्र 59 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 83 रामदेवजी का चौक भगत की कोठी जोधुपर हाल अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र प्रथम जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। वक्तः-11.45 ए.एम. इस समय पूर्व से पाबंद सूदा श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस एंवम श्रीमाते मधुमति महिला हैड कानि. 89 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधुपर एवं श्री भंवर लाल हैड कानि. 100 मय सरकारी वाहन बोलरो आरजे 14 यूएल 5806 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर से कार्यालय में उपस्थित आये। वक्तः-1.05 पी.एम. इस समय परिवादी श्री पिन्टु थानवी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड़ को रिश्वति में दी जाने वाली रिश्वत राशि 7,000/-रूपये लेकर उपस्थित आया हूं। वक्तः-01.15 पी.एम. इस समय मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री पिन्टु थानवी को अपने साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया व परिवादी श्री पिन्टु थानवी की हस्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी श्री पिन्टु थावनी से

आवश्यक पुछताछ कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री पिन्टु थानवी तथा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को सुना गया तो आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी के द्वारा पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज मुकदमा स0 80/2026 में परिवादी पिन्टु थानवी व श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट उनके पक्ष में तैयार करने की एवज मे आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड़ जिला अस्पताल फलोदी द्वारा 10,000/- रूपये की रिश्वती राशि की मांग करना तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा 3,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से पहले लेना एंवम 7,000/- रूपये रिश्वत राशि की ओर मांग करना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। वक्तः-01.30 पी.एम. इस समय मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री पिन्टु थानवी का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री पिन्टु थानवी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री पिन्टु थानवी एवं संदिग्ध आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य हुई दिनांक 11.03.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी पिन्टु थावनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी श्री पिन्टु थानवी तथा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य दिनॉक 11.03.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड की गई थी उक्त मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकोर्डर से बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। वक्तः-01.35 पी.एम. इस समय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री पिन्टु थानवी पु़त्र श्री मुकेश थानवी उम्र 25 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी फलोदी जिला फलोदी ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 7,000/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 14 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2DH 507277, 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0WD 844312, 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8AH 806140, 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8WK 271626, 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2KH 932815, 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1AU 249053, 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6AT 863895, 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9MS 887147, 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9CW 588243, 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6BF 816910, 11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8CE 186543, 12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DV 802223, 13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7CF 972209, 14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6BR 790432 मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 7,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 7,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से ही परिवादी श्री पिन्टु थानवी के पहनी हुई लोवर की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. से मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/कॉल अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री अचलाराम हैड कानि. 61 के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश

की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के अचलाराम हैड कानि. 61 से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। अचलाराम हैड कानि. 61 के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो टे्प दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास आकस्मिक खर्च के 3050/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात अचलाराम हैड कानि. 61 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर अचलाराम हैड कानि. 61 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी फोन में लगे मैमारी कार्ड में श्री ओमप्रकाश कानि. 260 से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। वक्तः- 01.50 पी.एम. इस समय मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि0 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री पिन्टु थानवी मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी पिन्टु थानवी एवं संदिग्ध आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य हुई दिनांक 11.03.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम एंवम सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5806 मय चालक श्री संजय कानि. 587 के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से फलोदी की तरफ रवाना हुआ। वक्त 4.40 पी.एम. इस समय अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेष अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि0 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री पिन्टु थानवी मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी पिन्टु थानवी एवं संदिग्ध आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य हुई दिनांक 11.03.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम एंवम सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5806 मय चालक श्री संजय कानि. 587 के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम लोर्डिया पहॅुचा जहॉ पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी के दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी उपस्थित मिला जिस को हमराह लेकर ग्राम लोर्डिया से फलोदी के लिये रवाना हुआ। वक्त 4.50 पी.एम.इस समय मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि0 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री पिन्टु थानवी व परिवादी के दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी पिन्टु थानवी एवं संदिग्ध आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड के मध्य हुई दिनांक 11.03.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम एंवम सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5806 मय चालक श्री संजय कानि. 587 के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा रेलवे स्टेशन फलोदी के सामने पहॅुच कर वाहनो को गोपनीय रूप से खड़े करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री बचनाराम कानि. 447 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वायॅस रिकोर्डर को चालू करवाकर परिवादी श्री पिन्टु थानवी को सुपर्द करवाकर परिवादी पिन्टु थानवी व श्री नन्दकिशोर जोशी के साथ पैदल ही संदिग्ध आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड से रिश्वत राशि लेन-देन करने हेतु संदिग्ध

आरोपी के रहवासी मकान की तरफ रवाना किया तथा श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री भीम सिंह कानि. 446 को परिवादी के पीछे-पीछे गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया मन् निरीक्षक पुलिस अनिल कुमार मय स्वतन्‌त्र गवाहान एंवम ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहनो में गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम रहे। वक्त 4.58 पी. एम.उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू वक्त 04.58 पी.एम पर परिवादी श्री पिन्टु थानवी ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर रिश्वती राशि लेन-देन का पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी वाहनो को साईड में खडा करवाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल हैड कानि0 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री सजय कानि. 587 श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक के रेल्वे के सामने गली में संदिग्ध आरोपी के रवाहसी मकान पर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री पिन्टू थानवी अपनें दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी के साथ उपस्थित मिला और परिवादी पिन्टु थानवी ने मकान के अन्दर प्रवेश करते ही सामने कमरे में कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्होने अभी मेरे से अपने मकान के अन्दर कुर्सी पर बैठे हुए मेरे से मांग कर 7,000/- रुपये प्राप्त कर, गिनकर अपने पहनी हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कुर्सी पर बैठे उक्त व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस नें अपना व हमराहीयान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड पु‌त्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी होना बताया। जिस पर डा0 जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी नें स्वयं ही अपने पहने हुए लोवर की पीछे की दाहिनी जेब से राशि निकाल कर एक गहरें भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल पर रख दी। जिस पर उक्त स्टूल पर रखी राशि कों स्वतन्त्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण दैया से उठवाकर सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। जिस पर मन अतिरिक्त निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी की तरफ ईशारा कर श्री डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड को पूछा गया कि आप इसे जानते हो जिस पर डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने रुबरु गवाहान के बताया कि यह श्री पिन्टु थानवी हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड से पूछा गया कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री पिन्टु थानवी से 7,000 रूपये की राशि प्राप्त की हैं तथा परिवादी पिन्टु थानवी से राशि किस बाबत प्राप्त की के बारे में पूछने पर डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने बताया कि मैने परिवादी पिन्टु थानवी से किसी प्रकार की राशि प्राप्त नही की है। इसने जबरदस्ती मेरे टेबल डाल दी है जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खडे परिवादी श्री पिन्टु थानवी से डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा राशि किस बाबत ली गई के बारे में पूछा गया तो परिवादी पिन्टु थानवी ने बताया कि यह झूठ बोल रहा है डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने मेरे द्वारा पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज मुकदमा स0 80/2026 में मेरे व मेरे दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट हमारे पक्ष में तैयार करने की एवज मे 10,000/- रूपये रिश्वत के मांगे थे तथा 3,000 रूपये रिष्वत के मेरे द्वारा इनको पहले दे दिये थे तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा 7,000/- रूपये रिष्वत राषि की ओर मांगने पर आज डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा मेरे 7,000 रूपये लेकर अपने पहने हुये लॉवर की दाहिनी जेब में रखे है जो आपको देखकर प्लास्टिक स्टूल पर रखे है। इस दौरान सुरक्षा की द्रष्टि से आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चुकि उक्त स्थान आरोपी रहवासी मकान होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना फलोदी मे करने का निर्णय लिया गया तथा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्यूरो टीम को देखकर रिश्वती राशि अपने पहने हुये लॉवर की दाहिनी जेब से निकाल कर गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल पर रखना जंहा से रिश्वती राशि बरामद होना उक्त प्लास्टिक स्टूल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से उक्त प्लास्टिक स्टूल सुरक्षित आरोपी के घर पर रखने हेतु एवं आरोपी के घर की निगरानी हेतु श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस व श्रीमती मधुमती हैड कानि. को आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड के रहवासी घर पर ही छोडकर हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी को यथा स्थिति में ही सरकारी बोलेरो वाहन में बैठाकर, मन निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि नम्बर .447, श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260, सरकारी बोलेरो चालक श्री संजय कानि. 587., एव श्री भंवरलाल हैड कानि. 100, श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446, श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13, श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक मय परिवादी पिन्टु थावनी व उसका दोस्त नन्दकिशोर जोशी मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम 638 के आरोपी के रहवासी मकान से रवाना होकर पुलिस थाना फलोदी पहुचा। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा मे उपस्थित श्री पदमाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे पहुच कर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा पुनः तस्सली पूर्वक

परिवादी श्री पिन्टू थानवी सें पूछा कि आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा आपसें पैसे किस चीज के मांगे है। जिस पर पिन्टू थानवी नें कहा कि मेडिकल कर मेडिकल रिपोर्ट मेरे पक्ष में देने के लिए मांगे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड से पूछनें पर आरोपी डॉ. जितेन्द्र गौड ने कहा कि मैनें पैसें नही मांगे। ये खुद अपनी मर्जी से आयें है। ये बार बार घर आ रहे थे। मै मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे चुका हू। मैनें पैसें की मांग की ही नही है। आरोपी नें यह भी कहा कि ये खुद ही पैसे रखकर गये है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री पिन्टू थानवी नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने मेरे व मेरे दोस्त नन्दकिशोर जोशी हम दोनों का मेडिकल कर मेडिकल रिपोर्ट हमारे पक्ष में देने के लिए दस हजार रूपये मांगे थें, परिवादी नें यह भी बताया कि आरोपी नें कहा कि तुम दोनों की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बनाउगा। डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने मेडिकल रिपोर्ट हमारे पक्ष में बनाने के लिए 4000 रूपयें पहले ही दे दिये थे। जबकी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने 1000 रूपयें कम देने का कहकर इन्होनें बोला की 3000 रूपयें दिये। फिर डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने मांग सत्यापन करवाने पर मेरे से 7000 रूपयें की रिश्वती राशि की मांग की गई। आज डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने मेरे व दोस्त नन्दकिशोर जोशी की मेडिकल रिपोर्ट हमारे पक्ष में देने के लिए 7000 रूपयें लेकर गिन कर अपने पहने हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब में रखे जेब में रख दिये थे तथा आपको देखकर डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड ने रिष्वति राषि अपने पहने हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब से निकाल कर प्लास्टिक स्टूल पर रखे थे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास में पुलिस थाना फलोदी से पीने के पानी की बोतल से पानी भरवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की षीषी निकाल कर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त मटमैला घोल को दो अलग-अलग कॉच की साफ शीशीयों में आधा आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर शीशीयों पर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया गया। फिर दूसरी प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में पुलिस थाना फलोदी से पीने के पानी की बोतल से पानी भरवाया गया प्लास्टिक की गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर शीशीयों पर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात वक्त घटना आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय फलोदी द्वारा रिश्वत राशि अपनें निवास स्थान पर परिवादी से प्राप्त कर गिन कर अपने पहनें हुए लोवर की पीछे की दाहिनी जेब में रखे थें, उक्त रिश्वती राशि आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी ने ब्यूरो टीम को देखकर रूबरू गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के समक्ष अपनें पहने हुये लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब से निकाल कर सामने रखें गहरें भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल पर रख दिये थे, उक्त रिश्वती राशि को रूबरू गवाहन एवं ब्यूरो जाब्ता के मन् निरीक्षक पुलिस के कहने पर स्वतन्त्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण दैया द्वारा गहरें भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल से उठाकर अपने पास सुरक्षित रखे थे उक्त रिश्वती राशि रूबरू गवाहान व परिवादी के रूबरू स्वतन्त्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण दैया से गिनवाई गई तो उक्त राशि 500-500 रूपयें के भारतीय मुद्रा के कुल 14 नोट मूल्य कुल 7,000 रूपयें होना पाई गई । जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश अग्रवाल को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी सुपर्द कर रिश्वती राशि 7,000/- रूपये के उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण दैया द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वती राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 14 नोट कुल राशि 7,000/-रूपये को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड के पहनें हुए लोवर की पीछे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें पर आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड के पहनने के लिए दूसरें लोवर की व्यवस्था कर उनकों लोवर पहनवाया गया। इसके बाद एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास में साफ पीने का पानी भरवाकर उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के वक्त घटना पहने हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन

को दो साफ कांच की षिषियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया तथा उक्त लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लॉवर को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क- P अंकित किया गया। आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड़ की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश अग्रवाल से लिरवाई गई तों आरोपी के कब्जे से एक मोबाईल फोन ओपों CPH2643 मॉडल नम्बर CPH2643 का मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर [redacted] (2) [redacted] व मोबाईल में सिम नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी व सिम नम्बर [redacted] जियो कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन व सिम कार्यवाही में वांछित नहीं होनें के कारण कब्जा ब्यूरों नहीं लिया गया। आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से 7,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी पहने हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब में रखना जो ब्यूरो टीम को देखकर रूबरू गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के उक्त रिश्वती राशि आरोपी द्वारा अपनी पहने हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब से निकाल कर सामने रखे गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल पर रखी जंहा से रिश्वती राशि रूबरू गवाहान के बरामद हुई उक्त रिश्वती राशि बरामदगी स्थल गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल का धोवन लिया जाना है जो उक्त बरामदगी स्थल गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक का स्टूल आरोपी के रहवासी मकान पर हमराह श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस व श्रीमती मधुमति हैड कानि. की निगरानी में आरोपी के रहवासी मकान पर सुरक्षित रखा हुआ उक्त गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल का धोवन वक्त नक्षा मौका घटना स्थल के समय पृथक से लिया जायेगा। परिवादी श्री पिन्टू थानवी के पैण्डिग कार्य के सम्बन्ध में आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तों उनके द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को बताया गया कि मेरे द्वारा श्री पिन्टू थानवी व श्री नन्दकिशोर जोशी की मेडिकल रिपोर्ट आज ही पुलिस थानें के अनुसंधान अधिकारी श्री पीराराम सहायक उप निरीक्षक को सुपर्द कर दी थी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण संख्या 80/2026 के अनुसंधान अधिकारी श्री पीराराम सहायक उप निरीक्षक सें उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व मेडिकल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल रंनिग नोट की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी से बरामद हुई रिश्वती राशि 7,000/- रूपये, आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के दोनों हाथो के लिये गये धोवन, आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी से की गई पूछताछ इत्यादि की ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक से सरकारी मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की गई। उक्त विडियोग्राफी का आईन्दा मैमोरी कार्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वती राशि 7,000/- रूपये, आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी के दोनों हाथो के धोवन की शीशीयां, आरोपी के पहने हुये लॉवर की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन की शीशीयां एवं आरोपी की पहने हुये लॉवर को कपड़े के पैकेट में डालकर सील मोहर किया गया, अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड पु़त्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से उसके द्वारा पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज मुकदमा स0 80/2026 में परिवादी पिन्टु थानवी व उसके दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट उनके पक्ष में तैयार करने की एवज मे दिनांक 11.03.2026 को 10,000/- रूपये की रिश्वती राशि की मांग करना तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा 3,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से पहले लेना एंवम 7,000/- रूपये रिश्वती राशि की ओर मांग करना एवं वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से 7,000/- रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुये लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब में रखना तथा ब्यूरो टीम को देखकर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि अपने पहने हुये लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब से निकाल कर गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल पर रखना जहां से रूबरू गवाहान रिश्वती राशि बरामद होना तथा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड पु़त्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, आरोपी के पहने हुए लोवर जिसमें परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर लोवर की पीछे की दाहिनी जेब में रखी थी, जिसकी जेब का धोवन गुलाबी आना उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। अब तक की कार्यवाही से आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र. श्री पुखराज उम्र 42 साल निवासी गांव धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी डा0 जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र. श्री पुखराज उम्र 42 साल निवासी गांव धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से करवाई गईं उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 7.10

पी.एम. इस समय मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, लॉवर का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रार्दश एवं आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी को श्री भंवरलाल हैड कानि. 100 एवं शेष ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मे सुपर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी,, परिवादी श्री पिन्टु थानवी , श्री नन्दकिशोर जोशी तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि0 446, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री लालाराम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु एवं रिश्वती राशि बरामदगी स्थल स्टूल का धोवन लेने हेतु आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के रहवासी मकान रेलवे स्टेषन के सामने नई सडक के लिये रवाना हुआ। वक्त 7.20 पी.एम. इस समय मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के फिगरा उपरोक्त का रवाना सुदा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के रहवासी मकान रेलवे स्टेषन के सामने नई सडक पहुंच कर आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी ने ब्यूरो जाब्ता को देखकर रिश्वती राशि निकाल कर रखे गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल जो श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस को पूर्व में सुपर्द कर सुरक्षित रखा गया था। उक्त गहरे भूरे रंग प्लास्टिक स्टूल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर कैम्पर से साफ पानी की बोतल भरकर मंगवाई जाकर प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया एवं ट्रेप बॉक्स से एक साफ कपड़े की चिन्दी निकलवाकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल गहरे भूरे रंग प्लास्टिक स्टूल पर दो-तीन बार रगड़ कर पुनः रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिस सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क एस-1 व एस-2 अंकित किया गया एवं सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा शीशीयों को शील्ड मोहर किया गया। उक्त कपडे़ की चिन्दी को सुखोकर चिन्दी पर सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली को शील्ड मोहर किया गया तत्पश्चात परिवादी श्री पिन्टु थानवी की निशोदही से रुबरु गवाहान के फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह मुकेश अग्रवाल , बचनाराम कानि. 447 मय सरकारी वाहन चालक श्री लालाराम की दुरी करीब 50 मीटर, श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण दैया, श्री भंवरलाल हैड कानि. 100, रामकिषोर कानि.13 मय सरकारी वाहन चालक श्री संजय कानि. 587 की 60 मीटर, श्री ओमप्रकाष कानि. 260, श्री भीमसिंह कानि. 446 की 30 मीटर की दुरी पर स्थित होना दर्शायी गई है फर्द नक्षा मौका अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान रोशनी की पूर्ण व्यवस्था थी एंवम श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस मय श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89 को आरोपी के रहवासी मकान पर ही छोडा जाकर हिदायत की गई की स्वतन््त्र गवाहान के उपस्थित आने पर आरोपी के रहवासी मकान की खाना तलाशी लेने हेतु निर्देशित कर मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मुकेष अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी,, परिवादी श्री पिन्टु थानवी, श्री नन्दकिशोर जोशी तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि0 446, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय रिश्वती राशि बरामदगी स्थल गहरे भुरे रंग के प्लास्टिक स्टूल के लिये गये धोवन के शील्ड शुदा प्रादर्ष व कपडे़ के चीन्दी का शील्ड शुदा पैकेट एंवम ट्रेप बाक्स मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री लालाराम के पुलिस थाना फलोदी के लिये रवाना हुआ। वक्त 9.00 पी.एम पर मन् मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी,, परिवादी श्री पिन्टु थानवी, श्री नन्दकिशोर जोशी तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि0 446, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय रिश्वती राशि बरामदगी स्थल गहरे भुरे रंग के प्लास्टिक स्टूल के लिये गये धोवन के शील्ड शुदा प्रादर्श व कपडे़ के चीन्दी का शील्ड शुदा पैकेट एंवम ट्रेप बाक्स मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री लालाराम के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा पुलिस थाना फलोदी पहुंच कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, लॉवर का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रार्दश एवं आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी को स्वंय के जिम्मे लिया गया। वक्त 9.30 पी.एम इस समय आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार चिकित्सा अधिकारी का सेवा विवरण हेतु श्रीमान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी के नाम तहरीर जारी किया जाने पर जिला अस्पताल फलोदी से पाबंद शुदा कार्मिक पुलिस थाना में उपस्थित होकर आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार चिकित्सा अधिकारी का सेवा विवरण पेश किया जिसको शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 11.40 पी.एम इस समय डा. जितेन्द्र कुमार गौड पु्त्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला

फलोदी से की गई पूछताछ एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से उसके द्वारा पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज करवाये गये मुकदमा स0 80/2026 में परिवादी पिन्टु थानवी व श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट उनके पक्ष में तैयार करने की एवज मे दिनांक 11.03.2026 को 10,000/- रूपये की रिश्वती राशि की मांग करना तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा 3,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से पहले लेना एंवम 7,000/- रूपये रिश्वती राशि की ओर मांग करना, वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार ग द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से 7,000/- रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब में रखना तथा ब्यूरो टीम को देखकर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि अपने लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब से निकाल कर गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल पर रखना जहां से रूबरू गवाहान रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड पु्त्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई। दिनांक 14.03.2026 वक्त 12.48 ए.एम इस समय इस समय मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस मय श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीमसिंह कानि. 446, मय ट्रेप कार्यवाही में गिरफतार सुदा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी मय सरकारी वाहन चालक श्री संजय कानि. 587 के आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुडी आयुक्तालय जोधपुर में बन्द हवालात करवाने की तेहरीर देकर हिदायत कर रवाना किया गया। तथा मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि0 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री पिन्टु थानवी व परिवादी के दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के दोनो हाथो एवं उनके पहने हुये लॉवर के पिछे की दाहिनी जेब एवं ब्यूरो टीम को देखकर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने पहने हुये लॉवर के पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि निकाल कर गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल पर रखें जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 s-1, s-2 एवं लॉवर का शील्डसुदा पैकेट मार्क- P एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 7,000/- रुपये एवं दिनांक 11.03.2026 को आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी व परिवादी श्री पिन्टू थानवी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय दिनांक 13.03.2026 को आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी व परिवादी श्री पिन्टू थानवी के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड, परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली मय आरोपी का सेवा विवरण ट्रेप बॉक्स्, अन्य अतिरिक्त मेमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर के पुलिस थाना फलोदी से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण को रवाना हुआ। वक्तः- 3.50 ए.एम इस समय मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि0 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री पिन्टु थानवी व परिवादी के दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के मय जब्त शुदा आर्टिकल व ट्रेप सामग्री के फिकरा उपरोक्त का पुलिस थाना फलोदी से रवाना सुदा कार्यालय हाजा पहुंच प्रकरण हाजा से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी के दोनो हाथो एवं उनके पहने हुये लॉवर के पीछे की दाहिनी जेब एवं ब्यूरो टीम को देखकर आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने पहने हुये लॉवर के पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि निकाल कर गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल पर रखें जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक स्टूल से से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 s-1, s-2 एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क- P, आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 7,000/- रुपये मालखाना एल.सी. श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 11.03.2026 को आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी व परिवादी श्री पिन्टू थानवी के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय दिनांक 13.03.2026 को आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी व परिवादी श्री पिन्टू थानवी के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अलमारी में रखकर अलमारी को लॉक किया जाकर अलमारी की चाबी मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास रखी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक

पुलिस द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी व उसके दोस्त नन्दकिशोर जोशी को कार्यालय हाजा पर ही आराम करने एव दोनों स्वतंत्र गवाहन को आज दिनांक 14.03.2026 को 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। वक्तः-5.00 ए.एम इस समय श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस मय, बचनाराम कानि. 447, श्री भीमसिंह कानि. 446, मय सरकारी बोलेरो चालक श्री संजय कानि. 587 के उपस्थित आये एवं आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कुडी में हवालात में जमा करने की आमद/रवानगी रपट मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जो षामिल रंनिंग नोट की गई। तत्पष्चात समस्त जाब्ते आज दिनांक 14.03.2026 को 9.00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत की गई। वक्तः-9.30 ए.एम.इस समय पूर्व से पाबन्द सुदा स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा परिवादी श्री पिन्टु थानवी व उसको दोस्त नन्दकिशोर जोशी एवं ब्यूरो जाब्ता पूर्व से ही कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। वक्त 9.45 ए.एम इस समय मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री पिन्टु थानवी पु़त्र श्री मुकेश थानवी उम्र 25 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी फलोदी जिला फलोदी एवं आरोपी जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी के मध्य दिनांक 11.03.2026 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से बाहर निकाल कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे रिष्वति राषि वक्त लेन-देन के मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर से बाहर निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास अपनी अभिरक्षा मे रखा तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में डालकर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री पिन्टु थानवी के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मांग सत्यापन 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड के उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर कर शब्द-बशब्द श्री बचनाराम कानि0 447 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी एवं परिवादी स्वयं एवं दोस्त नन्दकिशोर जोशी की आवाज की पहचान परिवादी श्री पिन्टु थानवी द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी लगे मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय 4 जी.बी लगे मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड के श्री बचनाराम कानि. 447 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 4 जी.बी के मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। उक्त दोनों मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यु निकाली जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मे अंकित की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री पिन्टु थानवी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप के उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुर्पद कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 11.00 ए.एम इस समय मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री पिन्टु थानवी पु़त्र श्री मुकेश थानवी उम्र 25 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी फलोदी जिला फलोदी एवं आरोपी जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी के मध्य दिनांक 13.03.2026 को हुई रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा से बाहर निकाल कर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री पिन्टु थानवी के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्ता के उक्त 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में डालकर, उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर कर शब्द-बशब्द श्री बचनाराम कानि0 447 की सहायता से रिश्वत राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री पिन्टु थानवी द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिष्वति राषि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप के उक्त मूल मैमोरी कार्ड लगे डिजीटल वॉयस रिकार्डर को श्री बचनाराम कानि. 447 से कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर रिकार्ड वार्ता की लेपटॉप में कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 4 जी.बी के मैमोरी कार्ड तैयार

करवाये गये। उक्त दोनों मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यु निकाली जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मे अंकित की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री पिन्टु थानवी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप के उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुर्पद कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्तः- 12.30 पी.एम. इस समय मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी पिन्टु थानवी व उसके दोस्त नन्दकिशोर जोशी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश अग्रवाल वरिष्ठ सहायक, श्री लक्ष्मीनारायण दैया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को बाद गोपनीय कार्यवाही के रूखस्त किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से उसके द्वारा पुलिस थाना फलोदी मे दर्ज मुकदमा स0 80/2026 में परिवादी पिन्टु थानवी व उसके दोस्त श्री नन्दकिशोर जोशी के चोटो की मेडिकल रिपोर्ट उनके पक्ष में तैयार करने की एवज मे दिनांक 11.03.2026 को 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी डा. जितेन्द्र कुमार गौड द्वारा 3,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से पहले लेना एंवम 7,000/- रूपये रिश्वती राशि की ओर मांग करना एवं वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार गौड चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी श्री पिन्टु थानवी से 7,000/- रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुये लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब में रखना तथा ब्यूरो टीम को देखकर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि अपने पहने हुये लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब से निकाल कर गहरे भूरे रंग के प्लास्टिक के स्टूल पर रखना जहां से रूबरू गवाहान रिश्वती राशि बरामद होना तथा आरोपी डॉ. जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल फलोदी जिला फलोदी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, रिश्वती राशि बरामदगी स्थल स्टूल जहां से रिश्वती राशि रूबरू गवाहान बरामद हुई उक्त स्टूल का धोवन चिन्दी से रगड कर लेनें पर हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी के पहने हुए लोवर जिसमें परिवादी से रिष्वत राषि प्राप्त कर लोवर की पीछे की दाहिनी जेब में रखी थी, जिसकी जेब का धोवन गुलाबी आना उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (अनिल कुमार) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिल कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. श्री जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र श्री पुखराज उम्र 42 वर्श जाति ब्राहम्ण निवासी धोरू तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल फलोदी, जिला फलोदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधन राम, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे.- जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 678 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक- प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 496-99 दिनांक 16.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/03/2026 16:41:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)